-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कमासिन पुलिस द्वारा युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी व सगे भाई ने मिलकर की थी युवक की गला घोटकर हत्या ।**

विवरण - पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सौरभ सिंह निकट पर्यवेक्षण में थाना कमासिन पुलिस द्वारा व्यक्ति की गला दबाकर हत्या करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 03/04.04.2026 की देर रात्रि थाना कमासिन क्षेत्र के ग्राम जामू में ट्यूबवेल पर पति-पत्नी सोने गये थे, जहां पर पति की मृत्यु हो गई थी। सूचना पर त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लिया गया तथा फील्ड यूनिट व फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके का गहनता से अवलोकन कर साक्ष्य संकलित करते हुए शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था तथा मृतक की मां सरस्वती देवी की तहरीर पर आधार पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले मृतक की पत्नी व मृतक के सगे भाई को भीती तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था जिसकी जानकारी मृतक को होने पर उनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर अभियुक्तों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। आज दिनांक 06.04.2026 को थाना कमासिन पुलिस द्वारा दोनो अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. निशा पत्नी सोनू निवासी जामू थाना कमासिन जनपद बांदा।
2. मोनू पुत्र रामबाबू निवासी जामू थाना कमासिन जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 90/26 धारा 103(1) बीएनएस थाना कमासिन जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री भास्कर मिश्र प्र0नि0 थाना कमासिन
2. उ0नि0 श्री रामआधार सिंह
3. हे0कां0 पंकज कुमार
4. म0कां0 अनामिका सिंह
5. कां0 निर्भय यादव